न्यायालय राज्य आयुक्त नि:शक्तता (दिव्यांगजन)

COURT OF STATE COMMISSIONER FOR PERSONS WITH DISABILITIES

समाज कल्याण विभाग/Social Welfare Department

बिहार सरकार/Government of Bihar

पत्रांक-सं0सं0-06/रा0आ0नि0 (च0न्या0)-03/2018 89/आ.नि.8) दिनांक 25 जनवरी'19

प्रेषक,

डॉ0 शिवाजी कुमार,
राज्य आयुक्त नि:शक्तता,
बिहार, पटना।

सेवा में,

निदेशक,
दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय,
पटना।

विषय :- **दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अनुपालन के तहत जिला पदाधिकारी एवं विभागीय पदाधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक एवं दिव्यांगजनों के विभिन्न शिकायतों की सुनवाई के लिए चलन्त न्यायालय (लोक अदालत) के आयोजन में होने वाले व्यय हेतु आवंटन उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।**

महाशय,

उक्त विषय के सम्बन्ध में जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग, समाहरणालय, सीतामढ़ी से प्राप्त पत्र सं0-57/सा0सु0 दि0-24.01.2019 तथा पत्र सं0-58/सा0सु0 दि0-24.01.2019 का संदर्भ लें, जिसके अन्तर्गत दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अनुपालन के तहत दिनांक-27.01.2019 से 30.01.2019 तक सीतामढ़ी जिले में जिला पदाधिकारी एवं विभागीय पदाधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक एवं दिव्यांगजनों के विभिन्न शिकायतों की सुनवाई के लिए चलन्त न्यायालय (लोक अदालत) के आयोजन में होने वाले व्यय हेतु आवंटन उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है।

उक्त सम्बन्ध में अपर मुख्य सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में हुई बैठकों में प्रदत्त निदेशों के आलोक में निम्न बिन्दु उल्लेखनीय है :-

(क) कार्यालय राज्य आयुक्त नि:शक्तता, बिहार को दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के राज्य अन्तर्गत अनुपालन स्थिति के अनुश्रवण का दायित्व सौंपा गया है। विविध जिलों में जिला पदाधिकारी एवं विभागीय पदाधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक एवं दिव्यांगजनों के विभिन्न शिकायतों की सुनवाई के लिए चलन्त न्यायालय (लोक अदालत) का आयोजन इस उत्तरदायित्व के निर्वहण हेतु किया जाता है।

(ख) कार्यालय राज्य आयुक्त नि:शक्तता, बिहार, पटना को केवल कार्यालय स्थापना के विभिन्न मदों के अन्तर्गत आवंटन उपलब्ध कराया जाता है। इस कार्यालय द्वारा दिव्यांगजनों हेतु किसी योजना का संचालन नहीं किया जाता है।

(ग) दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के राज्य अन्तर्गत कार्यान्वयन एवं दिव्यांगजनों हेतु राज्य चालित योजनाओं के संचालन का उत्तरदायित्व राज्य स्तरीय नोडल इकाई के रूप में दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय को सौंपा गया है।

(घ) अपर मुख्य सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में हुई बैठकों में कार्यालय राज्य आयुक्त नि:शक्तता द्वारा विविध जिलो में जिला पदाधिकारी एवं विभागीय पदाधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक एवं दिव्यांगजनों के विभिन्न शिकायतों की सुनवाई के लिए चलन्त न्यायालय (लोक अदालत) के आयोजन का व्यय 'सम्बल योजना' के तहत उपलब्ध आवंटन से किये जाने का निदेश दिया गया है।

क्र0पृ0उ0............

अतः उक्त आलोक में अनुरोध है कि कार्यालय राज्य आयुक्त निःशक्तता द्वारा राज्य के विविध जिलों में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अनुपालन के तहत जिला पदाधिकारी एवं विभागीय पदाधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक एवं दिव्यांगजनों के विभिन्न शिकायतों की सुनवाई के लिए चलन्त न्यायालय (लोक अदालत) के आयोजन में होने वाले व्यय के सम्बन्ध में विहित प्रक्रिया अनुरूप आवंटन उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा की जाए।

विश्वासभाजन
25.01.19
राज्य आयुक्त निःशक्तता,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक-सं0सं0-06/रा0आ0नि0 (च0न्या0)-03/2018 89/आ.नि.श. दिनांक 25 जनवरी'19

प्रतिलिपिः- अपर मुख्य सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

25.01.19
राज्य आयुक्त निःशक्तता,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक-सं0सं0-06/रा0आ0नि0 (च0न्या0)-03/2018 89/आ.नि.श. दिनांक 25 जनवरी'19

प्रतिलिपिः- सभी जिला पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25.01.19
राज्य आयुक्त निःशक्तता,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक-सं0सं0-06/रा0आ0नि0 (च0न्या0)-03/2018 89/आ.नि.श. दिनांक 25 जनवरी'19

प्रतिलिपिः- सभी सहायक निदेशक-सह-नोडल पदाधिकारी, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग-सह-जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा-सह-जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग, सीतामढ़ी को उनके पत्रांक-57/सा0सु0 दि0-24.01.2019 के संदर्भ में सूचनार्थ व आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25.01.19
राज्य आयुक्त निःशक्तता,
बिहार, पटना।